



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1948 (श10)
(सं0 पटना 1201) पटना, बुधवार, 30 सितम्बर 2026

सं0-ए0/पी0एम0-10/2022-7950
विधि विभाग

संकल्प
24 सितम्बर 2026

उल्लेखनीय है कि बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-430 में प्रावधानित है कि :—“राज्य सरकार ऐसे बंदियों या बंदियों की ऐसी कोटियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 (Cr.P.C.432)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473 के अधीन परिहार अधिनिर्णीत कर सकेगी, जैसे राज्य सरकार विनिश्चय करे। परिहार का मापदण्ड और परिमाण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकेगी। ऐसे परिहार नियम 405 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आयेगी।” बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-405 में यह वर्णित है कि “जब तक की राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुमोदित न हो, बंदी को स्वीकृत कुल परिहार कुल कारावास अवधि की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।”

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों में आदेश पारित करते हुए राज्य सरकारों को निदेशित किया है कि काराओं में संसीमित सजावार बंदी जिन्होंने कारा में संसीमन की अवधि में अपना अच्छा आचरण बनाए रखा है और जिनके कारामुक्त होने से समाज में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो राज्य सरकार ऐसे बंदियों को समयपूर्व कारामुक्ति का लाभ देकर कारामुक्त करने पर विचार कर सकती है।

3. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432(1) (Cr.P.C.432(1))/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473 (1) में उल्लेखित है कि:—“जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है तब समुचित सरकार किसी समय, शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करे उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन या जो दंडादेश उसे दिया गया है उसका पूरे का या उसके किसी भाग का परिहार कर सकती है।”

4. National Legal Services Authority Vs. Union of India & Ors वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-16.07.2026 को पारित आदेश में वृद्ध अथवा असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (Terminal illness) से ग्रसित बंदियों को कारामुक्त करने हेतु सुझाव दिया है।

5. उक्त के आलोक में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जयन्ती पर 02 अक्टूबर, 2026 को एक बारगी उपाय (One time measure) के तहत दोषसिद्ध सजावार बंदियों, जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है तथा प्राप्त सजावधि की आधी अवधि (परिहार रहित) कारा में व्यतीत कर चुके हों, को कुछ वर्णित निर्हरताओं को छोड़कर उन्हें एक बारगी उपाय के रूप में परिहार का लाभ देते हुए राज्य सरकार द्वारा कारामुक्त किया जायेगा।

6. उक्त के आलोक में परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने हेतु निर्णय लिया गया कि:-

(क) काराओं में संसीमित पैंसठ (65) वर्ष या अधिक उम्र के वृद्ध आजीवन सजावार बंदियों तथा असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (Terminal illness) से ग्रस्त आजीवन सजावार बंदियों के समय पूर्व रिहाई (Premature Release) के लिए विचार हेतु निम्नांकित बंदी पात्र होंगे:-

- (i) 65 वर्ष या अधिक उम्र के वृद्ध महिला एवं पुरुष आजीवन सजावार बंदी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-433ए (Cr.P.C.433A)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 475 के प्रावधानों से आच्छादित है, 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि व्यतीत करने के उपरांत समयपूर्व रिहाई के विचारण योग्य होंगे। इनपर परिहार सहित 20 वर्ष पूर्ण करने की बाध्यता नहीं होगी।
- (ii) असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (Terminal illness) से ग्रस्त महिला एवं पुरुष आजीवन सजावार बंदी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-433 ए (Cr.P.C.433A)/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 475 के प्रावधानों से आच्छादित है, 14 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि व्यतीत करने के उपरांत समयपूर्व रिहाई के विचारण योग्य होंगे। (मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक होगी)
- (iii) 65 वर्ष या अधिक उम्र के वृद्ध महिला एवं पुरुष आजीवन सजावार बंदी जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-433ए (Cr.P.C.433A)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 475 के प्रावधानों से आच्छादित नहीं है, 07 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि व्यतीत करने के उपरान्त एवं परिहार सहित 10 वर्ष की वास्तविक संसीमन अवधि व्यतीत करने के उपरान्त समयपूर्व रिहाई के विचारण योग्य होंगे।
- (iv) असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (Terminal illness) से ग्रस्त पुरुष एवं महिला आजीवन सजावार बंदी जिलास्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आलोक में समयपूर्व रिहाई के विचारण योग्य होंगे।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों के कैदी, जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, विशेषतः अगर उन्हें पिछले तीन वर्षों की सिद्धदोष अवधि के दौरान कोई सजा ना मिली हो, परिहार के योग्य होंगे:-

- (i) 65 वर्ष या अधिक उम्र की वे पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर सिद्धदोष अपराधी जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि की (उनके द्वारा अर्जित माफी की अवधि की गणना किए बिना) 50 प्रतिशत अवधि पूरी कर ली है।
- (ii) 70 प्रतिशत और उससे अधिक दिव्यांगता वाले शारीरिक रूप से अक्षम/ विकलांग वे सिद्धदोष अपराधी (चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित) जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि की (उनके द्वारा अर्जित माफी की अवधि की गणना किए बिना) 50 प्रतिशत अवधि पूरी कर ली है।
- (iii) गंभीर रूप से बीमार सिद्धदोष अपराधी (चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित)।

- (iv) निर्धन और अकिंचन कैदी, जिन्होंने अपनी कारावास की अवधि पूरी कर ली है किन्तु आरोपित जुर्मने की राशि के भुगतान में असमर्थ होने के कारण उन्हें कारागार से रिहा नहीं किया गया है।

(नोट:—जिला स्तरीय समिति को उचित मानदंड लागू करके यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कैदी की आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी को अच्छे से सुनिश्चित कर लें और उसके बाद ही प्रत्येक मामले को तय करे ताकि वास्तव में केवल गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को ही इसका लाभ मिले।)

(ग) परन्तु निम्नलिखित श्रेणियों के बंदियों को परिहार देय नहीं होगा :—

- (i) आतंकवादी कार्यों में संलिप्त सिद्धदोष अपराधियों या आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (टाडा), आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (पोटा), विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यू0ए0पी0ए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1982 (एनएसए), शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, यानहरण निवारण अधिनियम, 2016 के तहत सिद्धदोष व्यक्ति;
- (ii) जाली मुद्रा नोट (एफआईसीएन) के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (क से ड.) के तहत मामलों में सिद्धदोष कैदियों के मामले;
- (iii) बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती के साथ हत्या, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की हत्या, मानव तस्करी और यौन अपराध से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (पोक्सो), अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अपराध के लिए सिद्धदोष कैदियों के मामले;
- (iv) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत सिद्धदोष कैदियों के मामले;
- (v) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस) के तहत सिद्धदोष कैदियों के मामले;
- (vi) व्यापक नरसंहार के हथियार और इनकी आपूर्ति प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण), अधिनियम, 2005 के तहत सिद्धदोष कैदियों के मामले;
- (vii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत सिद्धदोष कैदियों के मामले;
- (viii) राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों के मामले (आईपीसी का अध्याय—VI); तथा
- (ix) कोई अन्य विधि, जिसे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस प्रयोजन के लिए बाहर रखना उचित समझे, के तहत सिद्धदोष कैदी।

7. असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (Terminal illness) की परिभाषा।— असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (Terminal illness) से आशय, ऐसी स्वास्थ्य स्थितियों से है, जिनमें मृत्यु की ओर ले जाने वाली निरन्तर गिरावट को रोकने की कोई उचित चिकित्सीय संभावना उपलब्ध नहीं होती है।

8. वैसे सजावार बंदी जो परिहार हेतु कंडिका-6(क) एवं (ख) में निर्दिष्ट योग्यता पूरी करते हों तथा कंडिका-6(ग) में निर्दिष्ट अयोग्यताओं से मुक्त हों, को जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित किया जायेगा। इस समिति के निम्न सदस्य होंगे:—

(क) जिला पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
(ख) वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
(ग) असेैनिक-शल्य चिकित्सक सह-मुख्य-चिकित्सा पदाधिकारी	—	सदस्य
(घ) जिला अभियोजन पदाधिकारी	—	सदस्य
(ङ) संबंधित जिले के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी	—	सदस्य
(च) काराधीक्षक	—	सदस्य सचिव
(जिले में एक से अधिक कारा होने की स्थिति में जिले के वरीय काराधीक्षक सदस्य सचिव होंगे)		

जिला स्तरीय समिति सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक शांति और समाज की भलाई के लिए, ऐसे अपराधी जो कि घोर अपराधी, आदतन अपराधी या जो विशेष छूट के लिए पात्र नहीं हैं, ऐसे अपराधियों के अलावा अपनी सिफारिशें राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी।

9. मेडिकल बोर्ड—असाध्य/अंतिम अवस्था के रोगों (**Terminal illness**) से ग्रसित बंदियों के मामलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड गठित की जायेगी, जिसके सदस्यों का मनोनयन जिला पदाधिकारी के द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा। जिला पदाधिकारी इस मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ चिकित्सकों/असाध्य एवं गंभीर रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के मनोनयन हेतु भी सक्षम होंगे। समिति की निर्णय/अनुशंसा असाध्य बिमारी (**Terminal illness**) बंदी के संदर्भ में अंतिम होगा।

10. जिला स्तरीय समिति परिहार के योग्य पाये गये बंदियों को चिन्हित कर अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी। समिति अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित करेगी कि “बंदी परिहार हेतु कंडिका-6(क) एवं (ख) में निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं तथा कंडिका-6(ग) में वर्णित अयोग्यता से पूरी तरह मुक्त है।”

11. राज्य सरकार जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित परिहार के योग्य बंदियों की जाँच के लिए एक राज्यस्तरीय समिति का गठन करेगी जिसके निम्न सदस्य होंगे।

(क) विभागाध्यक्ष, गृह विभाग (अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव) —	अध्यक्ष
(ख) सचिव, विधि विभाग —	सदस्य
(ग) महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ —	सदस्य सचिव
(घ) निदेशक, प्रोबेशन चर्या —	सदस्य

12. राज्य स्तरीय समिति सजावार बंदियों को परिहार देने हेतु विहित शर्तों की जांच और जिला स्तरीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को देगी, जो अपनी सिफारिशें राज्यपाल के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन के लिए रखेगी, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे और जहाँ केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक होगी वहाँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सहमति और अनुमोदन के लिए भेजेगी।

विदेशी बंदी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति के बाद ही मुक्त होंगे। राज्यपाल को सिफारिशें भेजने से पहले विदेशी नागरिकों के मामलों को गृह मंत्रालय को विदेश मंत्रालय की सहमति/मंजूरी प्राप्त करने के लिए अग्रिम रूप से भेजा जाना आवश्यक है।

13. बंदी की उम्र की गणना मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर की जायेगी और इनकी अनुपलब्धता में विचारण न्यायालय द्वारा न्याय-निर्णय में दिये गये उम्र/सजावार अभिरक्षा अधिपत्र पर वर्णित उम्र के आधार पर की जायेगी। संबंधित काराधीक्षक उम्र का सत्यापन करेंगे।

14. सजावधि की गणना 01 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जायेगी।

15. कंडिका-06 में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए विधि विभाग (माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदनोपरांत) अधिकृत रहेगा।

आदेश से
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1201—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>